(वाद संख्या–575/15)

12.09.2019

परिवादी , अनिला झा, पत्नी स्व0 सतीश झा, मुख्य अधीक्षक, सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, पटना की ओर से उनके पुत्र, अभिषेक झा, उपस्थित हैं।

Chief Accounts Officer (FC), PGMTD, Patna की ओर से मो0 के0 के0 अंसारी, कार्यालय अधीक्षक, टेलीफोन भवन, आर0 ब्लौक, पटना उपस्थित हैं।

उभय पक्ष को सुना।

श्री अंसारी की ओर से परिवादी के स्व0 पति, सतीश झा के Death claim under scheme of Insurance (GSLI) से संबंधित राशि की परिवादी को भुगतान करने के संबंध में Accounts Officer (Staff claim) Patna Telecom, District, Patna द्वारा वरीय शाखा प्रबंधक, जीवन बीमा निगम, P & GS Unit, फ्रेजर रोड, पटना को भेजे गये पत्र की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा जीवन बीमा निगम को परिवादी के स्व0 पति के GSLIS scheme के तहत Death claim के भुगतान का अनुरोध किया गया है। श्री अंसारी द्वारा आयोग को मौखिक रूप से बताया गया कि उनके द्वारा इस संबंध में जीवन बीमा निगम, P & GS Unit, फ्रेजर रोड, पटना से दूरभाष द्वारा सम्पर्क किया गया। जीवन बीमा निगम द्वारा उन्हें बताया गया कि परिवादी के स्व0 पति के GSLIS scheme के तहत Death claim की तीन लाख बारह हजार सताबन रूपये भुगतान करने हेतु Memo निर्गत किया जा चुका है तथा निकट भविष्य में उक्त राशि परिवादी के भारतीय स्टेट बैंक, शेखपुरा, राजा बजार के खाता सं0–11316407235 में On-line जमा हो जायेगी।

प्रस्तुत मामले की अगली तिथि–14.11.2019 निश्चित करते हुए Accounts Officer (Staff claim) Patna Telecom, District, Patna को यह निर्देश दिया जाता कि परिवादी के पति के GSLIS scheme के तहत Death claim की उपरोक्त राशि के भुगतान से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें।

कार्यालय आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व उचित कार्रवाई हेतु Accounts Officer (Staff claim) Patna Telecom, District, Patna, परिवादी तथा Sr. Branch manager, LIC, P & GS Unit, Frazer Road, Patna को भेज दी जाय।

आज उभय पक्ष की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–14.11.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक